



**FIROZABAD POLICE**

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



## प्रेस नोट थाना रसूलपुर दिनांक 07-12-2024 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा गालिब नगर में 30 लाख रुपये की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 02 अभियुक्तों राशिम व सारिफ को चोरी किए गए करीब 28 लाख रुपये के जेवर, 2,34,500 रुपये कैश ( 02 लाख 34 हजार पाँच सौ रुपये) व अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार ।

- असद अहमद के मकान में दिनांक 03-12-2024 को परिवार सहित शादी में जाने के पश्चात अज्ञात चोरों द्वारा नगदी व जेवरात सहित करीब कुल 30 लाख रुपये की चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम.....
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा घटना के खुलासे हेतु थाना रसूलपुर पर पुलिस टीम का किया गया था गठन.....
- थाना रसूलपुर पर गठित टीम व सर्विलांस टीम द्वारा आसपास लगे करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खँगाला गया था...
- वादी के रिश्तेदार (मामा का लडका) मौहम्मद सारिफ खान द्वारा अपने साथी अभियुक्त राशिम खान के साथ मिलकर पूर्व सुनियोजित तरीके से चोरी की घटना को दिया था अंजाम.....
- वादी के शादी में जाने से पूर्व सारिफ ने राशिम को योजनाबद्ध तरीके से 03 मंजिला बने मकान की भूतल स्थित गोदाम में छुपा दिया था जिसे बाहर से बन्दकर गृह स्वामी शादी में चला गया था....
- वादी का रिश्तेदार शातिर अभियुक्त सारिफ खान वादी के साथ शादी समारोह में सम्मिलित हुआ एवं लगातार मोबाइल कॉल के माध्यम से जुड़कर मकान में चोरी कर रहे साथी अभियुक्त राशिम खान को बनाई गई योजना के तहत पल-पल की जानकारी देता रहा.....
- चोरी करने के पश्चात राशिम पूर्व में बनवाई गयी डुप्लीकेट चाबी (मास्टर चाबी) के माध्यम से नीचे का ताला खोलकर व ऊपर का कुन्दा काटकर नगदी व जेवरात सहित पडोसी की छत पर कूदकर फरार हो गया....
- पूछताछ में दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमारे ऊपर काफी कर्जा हो गया था जिसके चलते हमने अपने रिश्तेदार असद असहमद के यहाँ चोरी करने की योजना बनाई थी ।

दिनांक 03-12-2024 को थाना रसूलपुर क्षेत्रान्तर्गत मकान स्वामी असद अहमद निवासी गालिब नगर के यहाँ उनके परिवार सहित शादी समारोह में जाने के बाद अज्ञात चोरों द्वारा बन्द 03 मंजिला मकान में चोरी की घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था । प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रसूलपुर पर मु0अ0सं0 423/24 धारा 331(4)/305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रसूलपुर व सर्विलांस सहित 02 संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया था ।

गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04/12/24 से 06/12/24 तक लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे चैक किए गए जिसमें अभियुक्तगण की पहचान कर लोकेशन व अन्य तथ्यों के आधार पर दो नफर अभियुक्तगण 1.राशिम खॉन पुत्र महमूद अली खॉन उर्फ बबलू उम्र करीब 22 वर्ष निवासी आवास विकास कालोनी पानी की टंकी के पास मोती पैलेस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद 2. मौहम्मद सारिफ खान पुत्र स्व0 मो0 इकबाल खान उम्र करीब 24 वर्ष निवासी करीमगंज निकट गुलाम हैदर हास्पिटल सर्विस रोड थाना रामगढ को मय चौरी के जेवर(रूपये अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख) व 2,34,500 रूपये व 01 अदद अवैध तमंचे मय कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना रसूलपुर पर मु0अ0स0 426/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. राशिम खॉन पुत्र महमूद अली खॉन उर्फ बबलू उम्र करीब 22 वर्ष निवासी आवास विकास कालोनी पानी की टंकी के पास मोती पैलेस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
2. मौहम्मद सारिफ खान पुत्र स्व0 मो0 इकबाल खान उम्र करीब 24 वर्ष निवासी करीमगंज निकट गुलाम हैदर हास्पिटल सर्विस रोड थाना रामगढ

### **दिनांक घटना:-**

मु0अ0सं0 423/24 धारा 331(4)/305ए बीएनएस

दिनांक चोरी - 03.12.24

घटना स्थल मकान वादी गालिब नगर

### **गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक, समय:-**

दिनांक 06.12.2024 समय 20.20 बजे व स्थान- फतेहाबाद पुल से ऊतरते हुए खोखा के पास दाहिनी तरफ वृहद ग्राम खंजापुर, थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 426/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
2. मु0अ0सं0 423/24 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस

### **विवरण पूछताछ:-----**

घटना स्थल के निरीक्षण से यह बात स्पष्ट थी की इतनी घनी आबादी में व सुरक्षित किलेनुमा मकान में कोई माहिर चोर या कोई परिवार का सदस्य ही ऐसी चोरी को अंजाम दे सकता है। वादी ने बताया की दिनांक 03/12/2024 को सांय 17.30 बजे सभी परिवारीजन शादी में सम्मलित होने गये थे। जब पुलिस टीम द्वारा आसपास के कैमरे चैक किये तो देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति समय 17.10 बजे वादी व परिवारीजन के शादी में सम्मलित होने से पहले ही घर में जाकर छिप गया था। संघनता से जांच में उस व्यक्ति की पहचान राशिम खॉन पुत्र महमूद अली खॉन उर्फ बबलू उम्र करीब 22 वर्ष निवासी आवास विकास कालोनी पानी की टंकी के पास मोती पैलेस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद के रूप में हुई। बाद गिरफ्तारी/बरामदी व पूछताछ करने पर राशिम उपरोक्त ने बताया की वादी के रिश्तेदार मौहम्मद सारिफ खान पुत्र स्व0 मो0 इकबाल खान उम्र करीब 24 वर्ष निवासी करीमगंज निकट गुलाम हैदर हास्पिटल सर्विस रोड थाना रामगढ ने पहले ही घटना प्लान कर रखी थी व उपर जाने की रास्ते की दुसरी चाबी हम लोगों ने पहले ही बनवा ली थी और जब सब लोग शादी में चले गए तो कमरे का ताला आरी से काटकर कमरे से गहने व नगद रूपये निकालकर पडोसी की छत से निकल गये थे। सारिफ रिश्तेदार वादी असह अहमद के साथ रहकर सब जानकारी एकत्रित करता रहा व परिवारीजन को सांत्वना देता रहा एवं सब चीज पर नजर रखता रहा।

दोनों अभियुक्तों पर पहले से ही लोगों का बहुत कर्जा था इसीलिए अभियुक्तगण उपरोक्त ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अजांम दिया गया। पुलिस टीम के अथक प्रयास व लगभग आसपड़ोस के 50 सीसीटीवी कैमरे चैक कर तथा सर्विलांस की मदद से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए गिरफ्तारी व बरामदगी की गयी।

### **बरामद माल का विवरण:--**

**मु0अ0सं0 423/24 धारा 331(4)/305ए बीएनएस से सम्बन्धित माल -**

**(जेवर की अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख रुपये व 2,34,500 रुपये (02 लाख 34 हजार पाँच सौ रुपये)नगद बरामद:-----**

1. एक अदद गले का लाल नग जडा हार बुदो के साथ धागा बधा हुआ पीली धातु
2. एक जोडी बुन्दे पीली धातु
3. एक पैण्डल लाल हरे मोती लगा पीली धातु
4. एक हाथ कलाई पतली पीली धातु
5. दो छोटे बुन्दे गोल पीली धातु
6. 05 अदद अंगूठी मीना लगी पीली धातु
7. छःअदद चूडिया पीली धातु
8. एक बडी हाथ कलाई जरकीन नग लगी हुई पीली धातु
9. एक जोडे बुन्दे जरकीन नग लगे पीली धातु
10. एक गले का हार जरकीन नग लगा पीली धातु
11. एक मंगलसूत्र पैण्डल मोती हरे लाल जडा हुआ पीली धातु
12. एक अदद पैण्डल पीली धातु
13. एक अदद बुन्दे सुई धागा पीली धातु
14. एक अदद बुन्दा लटकन वाला पीली धातु
15. एक जोडी बुन्दे छोटे सफेद मोती व लाल हरे मोती युक्त पीली धातु
16. एक जोडी पायल सफेद धातु
17. 2,34,500 रुपये (दो लाख 34 हजार पाँच सौ रुपये) नगद
18. एक अदद आरी लोहा काटने वाली
19. एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस।

### **चोरी का खुलासा / गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-----**

1. प्र0नि0 श्री अनुज कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 अमित तौमर प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम फिरोजाबाद।
3. उ0नि श्री सुनील कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 श्री अमित आनन्द थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
5. प्र0उ0नि0 आयुष राणा थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
6. है0का0 1023 मो0 आफताब थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
7. का0 356 अभिषेक उज्जवल थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
8. का0 306 रौकी तौमर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।